

# दुकान किराया अनुबंध पत्र

(Shop Rent Agreement)

यह अनुबंध दिनांक 01 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ है, जिसमें:

पक्ष - 1:

श्री उपेन्द्र कुमार, निवासी कुर्जी बालूपर, श्री चंद्र मिडिल स्कूल के सामने (Kurji Balupar, Opposite Sri Chandra Middle School), जो आगे "मालिक" कहे जाएंगे।

पक्ष - 2:

श्री \_\_\_\_\_ (किरायेदार/दुकानदार का नाम), निवासी \_\_\_\_\_ (पूरा पता), जो आगे "किरायेदार" कहे जाएंगे।

अनुबंध की शर्तें इस प्रकार हैं:

- मालिक ने अपनी दुकान, जिसका पता कुर्जी बालूपर, श्री चंद्र मिडिल स्कूल के सामने है, किरायेदार को किराए पर दी है।
- किराए की राशि ₹5500/- प्रति माह तय की गई है, जो 01 जुलाई 2025 से लागू होगी।
- 6 (छह) महीने पूर्ण होने के पश्चात, अर्थात् 01 जनवरी 2026 से मासिक किराया ₹6000/- हो जाएगा।
- किराया प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मालिक को नकद या बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
- किरायेदार ने सुरक्षा राशि के रूप में दो किस्तों में कुल ₹50,000/- (पचास हजार रुपए) मालिक को देना स्वीकार किया है:
  - पहली किस्त ₹25,000/- दुकान लेते समय
  - दूसरी किस्त ₹25,000/-, दुकान खोलने के 3 महीने बाद
- किरायेदार द्वारा दी गई सुरक्षा राशि से हर माह ₹3000/- काटकर किराए में समायोजित किया जाएगा, जब तक पूरी ₹50,000/- राशि समाप्त नहीं हो जाती।
- इस दौरान किरायेदार को शेष किराया देना होगा:
  - ₹5500 - ₹3000 = ₹2500 प्रति माह (पहले 6 महीने तक)
  - ₹6000 - ₹3000 = ₹3000 प्रति माह (जनवरी 2026 से)
- जैसे ही ₹50,000/- की पूरी राशि समायोजित हो जाती है, किरायेदार को पूरा मासिक किराया (₹6000/- या नियमानुसार) चुकाना अनिवार्य होगा।
- यह अनुबंध प्रारंभ में 22 महीने के लिए वैध रहेगा और दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।
- किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त करने की स्थिति में 1 माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
- किरायेदार दुकान का उपयोग केवल वैध व्यापारिक उद्देश्यों हेतु करेगा। किसी भी अवैध गतिविधि पर यह अनुबंध निरस्त माना जाएगा।

हस्ताक्षर:

मालिक के हस्ताक्षर

नाम: उपेन्द्र कुमार

तारीख: \_\_\_\_\_

किरायेदार के हस्ताक्षर

नाम: \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_